छत्तीसगढ़ शासन

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक – 17 फरवरी 2016

क्रमांक – एफ 4–48/2015/56 :: राज्य शासन एतद द्वारा छत्तीसगढ़ की नवाचार एवं उद्यमिता विकास नीति, 2015 संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित की जाती है। उक्त नीति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी एवं दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक वैध होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सौरभ कुमार)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ की नवाचार एवं उद्यमिता विकास नीति, 2015

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अनुक्रमणिका

कमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	3
2	रणनीति	4
3	सफलता के छः तत्व	6
	(1) इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर	6
	(2) प्रोटोटाइप शॉप और सहकर्म स्थान	7
	(3) वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य समर्थन	8
	(4) उद्यमिता शिक्षा और कौशल विकास	9
	(5) बाजार सहलग्नता (लिंकेज)	12
	(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)	13
4	संचालन समिति	14
5	अन्य शर्तें	15

1. प्रस्तावना–

1.1 1.2 अरब की जनसंख्या एवं सुदृढ़ सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के साथ भारत विकास एवं निवेश का प्रमुख स्थान है। भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था और 3100 स्टार्टअप (2014) के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप ईको सिस्टम है *(नैस्कॉम स्टार्ट अप रिपोर्ट 2014)*। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अप्रैल 2015 में, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.306 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की है जो आगामी पांच वर्ष में 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर को पार करने की ओर अग्रसर है, Purchasing power parity की गणना अनुसार यह संख्या 7.996 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की गणना से भारत 7 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट फोन बाजार है।

1.2 छत्तीसगढ़, तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है तथा प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी राज्यों में है। यह राज्य, मध्य भारत के हृदय में अवस्थित है, जो सीमावर्ती 7 राज्यों के बाजारों का प्रवेश द्वार है। छत्तीसगढ़ विद्युत अधिशेष राज्य है और किफायती दरों पर स्थिर (निरन्तर) विद्युत प्रदान कर रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने "कौशल का अधिकार" प्रदान किया है। राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अखिल भरतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सफलतापूर्वक संचालन होने के साथ उत्कृष्ट शिक्षा के लिए ईको सिस्टम उपलब्ध है और शीध्र ही आईआईटी तथा सीमेंस द्वारा आईआईआईटी में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की योजना है।

1.3 पन्द्रह वर्ष की अल्प अवधि में राज्य विद्युत, कोयला, इस्पात और सीमेन्ट जैसे कोर सेक्टर के उद्योगों का केन्द्र बन गया है। भविष्य की आगामी पीढ़ी के शहरों को विकसित करने की दिशा में नया रायपुर दूसरों से आगे निकल गया है। कुल 237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 21 वीं सदी की हरित स्मार्ट सिटी विकसित की गई है। यह देश में इस तरह की पहली डिजाईन की गई सिटी है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, इसे भारत की 100 स्मार्ट सिटी परियोजना में दाहराया जा रहा है।

1.4 राज्य, विकास के नये इंजिन के रुप में उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है, जिसका नवाचार एवं उद्यमिता प्रमुख आधार है। देश में मोबाईल के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है, भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता में भी बदलाव हुआ है। जीवंत भारतीय बाजार के नये ईको सिस्टम में उद्यमियों/ स्टार्ट अप सेवाओं की प्रदायगी में भी बड़ा उछाल आया है।

1.5 छत्तीसगढ़ शासन ने स्टार्ट अप/ उद्यमिता को भविष्य में रोजगार सृजक तथा सामाजिक नवाचार का प्रमुख इंजन माना है। यहां तक कि बड़ी कंपनिया तीव्र गति से बढ़ रहे नवाचार एवं उद्यमिता के

परिवेश में निवेश के लिए स्टार्ट अप ढूंढ रही है। जो इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर के लिए एक सरल लैंडिंग का मंच प्रदाय करेगी।

1.6 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में नवाचार के महत्व को स्वीकार करते हुए, उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने नीतिगत पहल को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। अपने प्राकृतिक संसाधनों का विकास जैसे खनिज, वन और कृषि और मानव संसाधन, विशेष रूप से आदिवासी जिनके पास अपने स्वयं के उत्कृष्ट कौशल हैं, लेकिन जो प्रौद्योगिकी से वंचित है, साथ ही नया रायपुर के विकास– भारत की स्मार्ट सिटी पहली ग्रीनफील्ड राजधानी का लाभ उठाने के लिए यह नीति नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक प्रयास है।

1.7 छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक संस्था को मनोनीत करेगा, जो इस नीति को लागू करने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी होगी।

2. नीति–

2.1 राज्य की औद्योगिक नीति तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की नीति नए युग के उद्यमियों के लिए मुख्य नीति होगी, नवाचार और उद्यमिता के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोत्साहन इस नीति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2.2 दूरदृष्टि– जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, "अनुसंधान और प्रौद्योगिकी" का दोहन करके राज्य को "उद्यमशीलता और नवाचार" का वैश्विक मुख्य केंद्र बनाना।

2.3 आगामी 3 वर्षों में महत्त्वपूर्ण लक्षित परिणाम –

- राज्य में एक्सेलरेटर्स/ प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटरों (TBI) को स्थापित करना।
- 100 से अधिक उपक्रमों की स्थापना।
- राज्य में स्थापित स्टार्ट–अप में उद्यमों, पूंजीपतियों, वित्तीय संस्थानों और ऐंजल निवेशकों द्वारा निवेश।
- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्टार्ट–अप बूट शिविर का आयोजन।
- स्टार्ट अप के लिए अधोसंरचना जैसे एक्सीलेटर, इंक्यूबेटर, अनुसंधान और विकास स्थल स्थापित करने के लिए बड़ी नवाचार कंपनी को राज्य के साथ जोड़ना।

- विश्व एवं एशिया के प्रमुख प्रकाशनों और प्रख्यात व्यक्तियों / कार्पोरेट्स के बीच नवाचार एवं उद्यमिता के शीर्ष केन्द्र के रुप में मान्यता प्राप्त करना।

- यह सुनिश्चित करना कि स्टार्ट अप महिला संचालित या स्टार्ट अप टीम में सह–संस्थापक महिला हों, जिससे महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हुए, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकें।

- उच्च गुणवत्ता के जीवन यापन हेतु राज्य के नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्टार्ट–अप के साथ जोड़ना।

2.4 नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में नवाचारी व्यवसायों पर ध्यान दिया जाएगा–

1 स्थापित प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, कोयला, बिजली आदि।

2 इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा वियरेबल प्रौद्योगिकीयां

3 इंटरनेट एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी और सामाजिक गतिशीलता विश्लेषिकी और क्लाउड (एसएमएसी)

4 वित्तीय समावेशन और मोबाइल कॉमर्स पर केन्द्रित वित्तीय प्रौद्योगिकी

5 हेल्थकेयर प्रौद्योगिकी

6 एमएसएमई क्षेत्र द्वारा दक्षता बढ़ाना और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के लिए नए समाधान

7 नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए सामाजिक नवाचार (इसमें सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता प्रौद्योगिकीयां, सौर आधारित नवाचार, कृषि, वन उपज, सस्ते जैव चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल आधारित रोग निर्णय, सस्ते कृत्रिम अंग, शिक्षा और आजीवन, कौशल विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी या मोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल हैं)

8 रक्षा, ऑटोमोटिव, कृषि प्रसंस्करण, ईएसडीएम और जैव प्रौद्योगिकी जैसे राज्य के उभरते क्षेत्र

9 अक्षय ऊर्जा

10 सुरक्षित और स्मार्ट शहर, और स्मार्ट गांव

2.5 छत्तीसगढ़ शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को नामांकित किया जाएगा। राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से एक समर्पित राज्य कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की स्थापना की जाएगी जहां स्टार्ट–अप इनक्यूबेट किए जाएंगे। शासन सफल स्टार्ट–अप के विकास में सहयोग करने के लिए उद्यम पूंजी निधि का सृजन भी करेगा। छत्तीसगढ़ शासन शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी चाहता है। नीति के सफल क्रियान्वयन/ रणनीति निर्धारण हेतु पृथक से अनुभवी मानव संसाधन का सहयोग लिया जाएगा।

3. सफलता के 6 तत्त्व–

राज्य की नवाचार नीति छत्तीसगढ़ को भारत और विश्व के लिए आर्थिक विकास का एक उद्यमी इंजन बनाने की दिशा में आवश्यक छह मूल तत्त्वों पर आधारित है–

(1) इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर

(2) प्रोटोटाइप शॉप और सहकर्म स्थान

(3) वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य समर्थन

(4) उद्यमिता शिक्षा और कौशल विकास

(5) बाजार लिंकेज

(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर संचालन

(1) इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर

- ये नवाचार को वास्तविक जीवंत व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक मुख्य बिन्दु है और इस प्रकार "विचार" "उत्पाद" में बदलते हैं। इससे नवाचारियों, राज्य और देश के लिए धन सृजित होने के अतिरिक्त, व्यापक रोजगार भी सृजित होता है।
- राज्य शासन स्वयं का केन्द्र स्थापित करने के लिए वैश्विक ख्याति के शैक्षिक संस्थान को आमंत्रित कर कम से कम एक विश्व स्तरीय कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर स्थापित करेगा।
- राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में शीर्ष कंपनियों, विश्वविद्यालयों और उद्योग संघों की भागीदारी के साथ स्टार्ट–अप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर स्थापित किया जाएगा।

- स्टार्ट–अप समुदाय और बड़े संगठनों को एक साथ लाने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर में कॉर्पोरेट नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए कार्यरत होगी।
- भविष्य की आवश्यकता के आधार पर, शासन संभाव्य जिला और व्यवसाय क्षेत्र केन्द्रित मिनी इनक्यूबेशन केन्द्र प्रारंभ कर सकती है, जो कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के साथ जोड़े जाएंगे।
- इस नीति के अंतर्गत नियोजित तीन प्रमुख प्रकार के इनक्यूबेटर–सह– एक्सीलरेटर हैं–

1. प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर– ये सभी क्षेत्र के विचारों/ उद्यमियों के लिए होगा, जो प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों/ विचारों के साथ स्टार्ट– अप पर केंद्रित होगा। ये सरकार, कंपनियों, विश्वविद्यालयों/ शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किया जा सकते हैं। राज्य शासन, राज्य या केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत धन की व्यवस्था हेतु यदि कोई है तो सहयोग प्रदान किया जाएगा। कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर राज्य भर में सभी इन्क्यूबेटरों और एक्सेलरेटरों के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

2. व्यवसाय इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर– ये इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर क्षेत्र निरपेक्ष होंगे और सभी प्रकार के स्टार्टअप को कोच, संरक्षित और इनक्यूबेट करेंगे, चाहे उनका उत्पाद, क्षेत्र या स्टार्ट–अप की स्थिति कुछ भी हो। जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास के लिए उत्पादों/ विचारों या सामाजिक प्रभाव के लिए अभिनव समाधान वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसएमई) फोकस इन्क्यूबेटर और एक्सीलरेटर– इस प्रकार के इन्क्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स उद्यमिता प्रशिक्षण, व्यापार योजना विकास, पूंजी लिंकेज सुविधाकरण और बाजार लिंकेज सुविधाकरण के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगें। चूंकि ये उद्यमी राज्य के कोर क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक समर्थन सहायक प्रणाली के रूप में भी कार्य करेंगे, ऐसे इन्क्यूबेटरों और एक्सीलेरेटरों के विकास के लिए प्रमुख उद्योगों से सहायता मांगी जा सकती है। ये इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को सक्रिय करने में भी मदद करेंगे।

(2) प्रोटोटाइप शॉप और सहकर्म स्थान–

कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर में सभी इन्क्यूबेट के लिए साझा सुविधाएं सम्मिलित होंगी वे निम्नलिखित लेकिन यहां तक ही सीमित नहीं होंगी–

1 पार्ट फैब्रिकेशन और प्रोटोटाइपिंग स्टूडियो

2 निर्माता समुदाय के लिए पार्ट हैकर स्थान और पार्ट अध्ययन केंद्र

3 लेजर कटर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशालाएं, मशीन शॉप, वुड शॉप, एक धातु कर्म शॉप, कपड़ा विभाग, वेल्डिंग स्टेशन, वाटर जेट कटर, आदि शामिल करने के लिए सुविधाएं।

4 सदस्यों को सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए कुछ प्रमुख डिजाइन सूट।

5 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और दूसरों के साथ सहयोग के लिए विशाल परियोजना क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा

6 विशेष रूप से दलों को साथ लाने और बनाने के कार्य में उन्हें शामिल करने के लिए अनुभव पर आधारित अनेक कॉर्पोरेट आयोजन का विकास किया जाएगा

7 पारंपरिक उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी / स्मार्ट समाधान के विकास के लिए स्थानीय प्रमुख उद्योगों के साथ जुड़ाव

समावेशी एवं सतत सामाजिक–आर्थिक विकास करने के लिए कोर इनक्यूबेटर–सह– एक्सीलरेटर में सहकर्म स्थल शामिल होंगे। ये सहकर्म स्थल आर्थिक समृद्धि के लिए सामाजिक पूंजी और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को तीव्र करने के लिए समर्पित होंगे। ये एक बहुआयामी, बहु प्रयोजन स्थल होंगे जहां रचनात्मक तकनीक और सामाजिक उद्यमों को उत्प्रेरित करने के लिए कार्य होगा। यह कई सामाजिक समस्याओं के लिए नए समाधान के सह–निर्माण करने में और छत्तीसगढ़ राज्य और इसके आसपास सामाजिक उद्यमियों, सरकार, तकनीकी कंपनियों, और निवेशकों के लिए एक साझा मंच होगा।

(3) वित्तीय प्रोत्साहन और राज्य समर्थन–

3.1 कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर हेतु दो श्रेणी की निधि बनाई जाएंगी–

क) कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की स्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसी द्वारा कम से कम तीन वर्षों के लिए एक नवाचार निधि बनाई जाएगी, यह राज्य अनुदान से वित्तीय नियम अनुसार पोषित होगी। निधि उपयोग इस प्रकार किया जाएगा–

1. आवश्यक उपकरणों के साथ मूलभूत अधोसंरचना और कार्यालय की स्थापना
2. बिजली, इंटरनेट और अन्य प्रशासनिक व्यय लागत एवं संचालन–संधारण व्यय
3. विपणन, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यक्रम
4. संचालन हेतु कर्मचारियों का विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

5. शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बूट शिविर

6. कार्यान्वयन एजेंसी की संचालन लागत

7. स्टार्ट–अप के लिए वित्तीय सहायता– राज्य शासन, राज्य के कुछ इनक्यूबेटी/स्टार्ट–अप का चयन करने के पश्चात् उपयुक्त सहायता (निश्चित अवधि हेतु) प्रदान करेगा। ऐसे स्टार्ट–अप का चयन उचित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

8. निधि का उपयोग राज्य एवं विश्व स्तर पर प्रासंगिकता के महत्त्वपूर्ण मुद्दों (जैसे स्मार्ट सिटी, वित्तीय समावेशन आदि) पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, नव आविष्कारकों और उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। एक "चैलेंज कार्यक्रम" का गठन किया जावेगा, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह मुद्दों की व्यवहार्यता से संबंधित संभावित समस्याओं को सूचीबद्ध करेगा और उस पर व्यावहारिक समाधान प्रदान करेगा, चयनित सर्वश्रेष्ठ विचारों को राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसे भारत और दुनिया भर में पहुंचाया जा सकेगा।

ख) स्टार्ट–अप्स के लिये एक विशेष लीप ऑफ फेथ रिवाल्विंग निधि © (LoFR निधि)

1. स्टार्टअप के प्रारंभिक चरण में धन की आवश्यकता सबसे बड़ी समस्या होती है जिसे स्वीकार करते हुए, LoFR निधि राज्य इनक्यूबेटर में से चयनित स्टार्ट–अप में से प्रत्येक में उनके शुरुआती खर्च के लिए 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

2. उपर उल्लिखित ब्याज मुक्त ऋण की वसूली तीन वर्षों में की जायेगी।

3. पूर्व में प्रदत्त राशि के प्राप्त होने पर यह राशि भी अन्य स्टार्ट–अप में निवेश के लिए LoFR फंड में वापस जमा कर दी जाएगी।

3.2 राज्य नोडल एजेंसी द्वारा उद्यमियों और स्टार्ट–अप के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोतों का लाभ उठाते हुए रुपये 100 करोड़ से अधिक की उद्यम पूंजी निधि जुटाई जाएगी।

1. संचालन समिति निर्धारित मापदंड के आधार पर राज्य स्थित स्टार्ट–अप, में उद्यम पूंजी निधि से निवेश करने के लिए स्वतंत्र होगी।
2. यह निधि निजी इक्विटी (पीई) या वेंचर फंड के रूप में प्रबंधित की जाएगी। इस निधि में से कुछ निधि को उद्यम कल्याण निधि के रुप में सामाजिक या पर्यावरण मिशन में संलग्न प्रारंभिक अवस्था के उपक्रमों को, समर्थन करने के लिए, आवंटित किया जा सकेगा।

3. राज्य शासन, स्टार्ट–अप और उद्यमिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में महिला उद्यमियों को प्रेरित करने और उनका सशक्तीकरण करने के लिए महिला नव आविष्कारियों के लिए उद्यम पूंजी निधि में से अलग कोर्पस निर्धारित किया जा सकेगा। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाएगा।

निधि का स्रोत–

1 राज्य बजट तथा अतिरिक्त रुप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सीएसआर धनराशि तथा विभागों, निगमों, सोसायटियों और संस्थाओं से निधि एकत्र की जाएगी जिसे राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

2 इन्क्यूबेशन और स्टार्ट–अप संस्कृति को ऊर्जावान् बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य शासन, भारत सरकार के विभिन्न विभागों से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, नीति आयोग आदि शामिल हैं।

3 राज्य के विभाग/शासकीय एजेंसियां/ निगम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि राज्य समर्थित कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलेटर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी वर्तमान या निकट भविष्य की आवश्यकताओं के समाधान हेतु संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव दे सकते हैं।

इन्क्यूबेटीज के लिए वित्तीय लाभ–

सभी इन्क्यूबेटर–सह–एक्सेलरेटर्स और स्टार्ट–अप राज्य की "औद्योगिक नीति 2014–19" एवं "इलेक्ट्रॉनिक्स और सू.प्रौ/ सू.प्रौ.स.से. नीति 2014–19" के अंतर्गत प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे।

इनक्यूबेटर/ एक्सीलरेटर की स्व–संधारणीयता– लक्ष्य इनक्यूबेटर/ एक्सेलेरेटर को तीन वर्ष की अवधि के भीतर आत्मनिर्भर बनाये जाने का प्रयास निम्नानुसार किया जाएगा–

1. कॉर्पोरेट प्रायोजन
2. स्टार्ट–अप से किराया
3. स्टार्ट–अप में निवेशित इक्विटी से रिटर्न
4. परामर्श कार्य

(4) उद्यमिता शिक्षा और कौशल विकास–

नवाचार एवं उद्यमिता विकास के लिए, मूल आधार को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य में शैक्षिक समुदाय की क्षमता का विकास और उद्यमिता हेतु शिक्षकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना महत्त्वपूर्ण है।

- ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ–साथ नवाचार किट और स्टार्ट–अप टूल बॉक्स स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को दिए जाएंगे।

- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु शासन निजी क्षेत्र के सहयोग से स्कूल/ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बूट शिविर का आयोजन करेगी। इसे विशेष पहल के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे–

    क. नवाचार इवेंट और सामाजिक उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

    ख. उत्कृष्टता कार्यक्रम (सीईपी) और उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में उद्यमिता और नवाचार के लिए विद्यार्थियों को गहन अध्ययन, अनुभव, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के लिए वास्तविक स्टार्ट–अप, उत्पाद निर्माण एवं बाजार आदि का एक्सपोजर प्रदान करना।

    ग. अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ विनिमय कार्यक्रम।

- राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक जुटाने और शैक्षणिक संस्थानों में इवेंट आयोजित करने आदि की अनुभवी कंपनियों को राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सुविधाएं दी जाएगी।

- चयनित छात्र उद्यमियों के लिए अपने नवाचारों/स्टार्ट–अप विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप और फेलोशिप कार्यक्रम राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा।

- राज्य शासन उद्यमिता, नवाचार और स्टार्ट–अप से संबंधित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल शैक्षणिक संस्थाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और उसे समय पर अद्यतन करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा। इस हेतु एआईसीटीई और यूजीसी के साथ आवश्यक समन्वय और विचार–विमर्श किया जाएगा।

- राज्य शासन नए विचारों का परीक्षण/ नवाचार में व्यतीत समय पर अकादमिक क्रेडिट और उपस्थिति के मापदंड में छूट देने के लिए छात्रों के लिए एक प्रणाली तैयार करने हेतु विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा।

- राज्य शासन विश्वविद्यालयों और संस्थानों को "आवासीय छात्र उद्यमी" की अवधारणा लागू करने के लिए प्रेरित करेगा।

- राज्य नोडल एजेंसी द्वारा छात्रों के लिए उद्यमिता टॉक शो और स्टार्ट अप उत्सव आयोजित किए जाएंगे जिनमें प्रमुख वक्ता, पेशेवर, उद्यमी, व्यापारी और अन्य अग्रणी व्यक्ति अपने अनुभव और सीख साझा करेंगे।

- भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरुप प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को ई–साक्षर बनाने के लिए डिजिटल भारत योजना लागू की जाएगी।

- राज्य शासन अपने उद्यम आरंभ करने या राज्य इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर के किसी स्टार्ट–अप में इंटर्न का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त उपस्थिति और अंकों के प्रावधान करने की नीति लागू करेगी, इससे युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पथ प्रशस्त होगा।

(5) बाजार लिंकेज

इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक वैश्विक ब्रांड बनाना और इनक्यूबेटीज को उपयुक्त कॉर्पोरेट और बाजार लिंकेज उपलब्ध करवाना है। यह लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन निम्नलिखित सुविधा प्रदान करेगा–

- कॉर्पोरेट और राज्य कनेक्ट– स्टार्ट–अप प्रोटोटाइप, बाजार परीक्षण के चरणों में पिछड़ने लगते हैं, अधिकांशतः प्रोटोटाइपिंग, विशेष उपकरणों आदि की आवश्यकता के कारण बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है और बाजार परीक्षण एक समस्या बन जाती है क्योंकि स्टार्ट–अप के पास वितरण चैनल और बाजार कनेक्ट नहीं होता है। यही वह जगह है जहां कॉरपोरेट जगत की भूमिका आती है, वे उनके क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के लिए प्रोटोटाइप की कुछ मात्रा को बाजार में ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दे सकते हैं। कॉर्पोरेट्स अपने विद्यमान चैनलों का उपयोग करके उस उत्पाद का बाजार परीक्षण कर सकते हैं। इससे उन्हें कम लागत पर और उच्च गति से अनुसंधान एवं विकास का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। राज्य नोडल एजेंसी सरकारी संस्थानों में इनक्यूबेटीज के लिए बाजार परीक्षण की सुविधा देगी।

- निवेशक कनेक्ट – स्टार्ट–अप उद्योग में निवेश करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं का आंकलन अभिनव समाधान, मजबूत आधार प्रदान करेगा। राज्य नोडल एजेंसी इस तरह के समाधान को उद्योग और निवेशक समुदाय के समक्ष प्रदर्शन के लिए डेमो की सुविधा प्रदान करेगी।

- युवाओं की प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए वार्षिक स्टार्ट–अप उत्सव आयोजित किया जाएगा।

- परिपक्व स्टार्ट–अप, कॉलेज और स्कूल के छात्रों को विनिमय कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से अग्रणी स्टार्ट–अप स्थलों से अवगत करवाया जाएगा।

(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

राज्य शासन इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों के साथ भागीदारी करेगा। स्थानीय विशेषज्ञ एवं भागीदार संस्थान, ग्लोबल उद्यमिता कार्यक्रम के प्रबंधन का अनुभव रखनेवाले कंसल्टेंट्स, कार्यान्वियन एजेंसी होंगे। यह एजेंसी एक्सलरेशन प्रक्रिया चलाने में राज्य की मदद करेगी, ऑनलाइन शिक्षण और स्टार्ट–अप शिक्षा सामग्री बनाने के साथ ही प्रारंभिक चरण और अंतिम चरण स्टार्ट–अप दोनों के लिए मेंटरिंग कार्यक्रम भी बनाएगी।

राज्य शासन स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए इन तकनीकी विशेषज्ञों/मेन्टर/कोच/विश्वविद्यालयों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए राज्य में स्थापित इन्क्यूबेटर/ एक्सलरेटर की गुणवत्ता सशक्त करेगी ताकि राज्य में उद्यमिता शिक्षकों, मेन्टर्स और इन्क्यूबेशन प्रबंधक की भूमिका के लिए एक पाइपलाइन विकसित की जा सकें।

राज्य नोडल एजेंसी के उत्तरदायित्व–

1. इनक्यूबेटर के सफल संचालन के लिए समय–समय पर मूलभूत अधोसंरचना और अन्य आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
2. स्टार्टअप/ इनक्यूबेटीज के लिए आवश्यक भौतिक बुनियादी सुविधा और कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर की परिचालन सब्सिडी, भौतिक अधोसंरचना का विकास कर स्टार्ट–अप के विभिन्न प्रकारों (उत्पाद, विनिर्माण, सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग आदि) के आधार पर प्रदान की जाएगी। लघु या प्रारंभिक चरण स्टार्ट–अप को साझा कार्यस्थान प्रावधान और अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य टेलरमेड सुविधाएं उपलब्ध करवाकर समान रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। नोडल एजेंसी कोर इनक्यूबेटर सह एक्सीलरेटर के ऑपरेटरों की पूर्ति और सामान्य सेवाएं प्रदान करने जैसे लेखांकन, बैंक वित्त पोषण, कानूनी पंजीकरण, पेटेंट पंजीकरण आदि के लिए भी उपयुक्त सब्सिडी दे सकती है। नोडल एजेंसी आवश्यकता अनुसार इन्क्यूबेटीज के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार कर सकती है।
3. नवाचार निधि और लीप ऑफ फेथ फंड का प्रबंधन।
4. संचालन समिति द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व।

क्रियान्वयन एजेंसी से प्रमुख अपेक्षाएं–

1. छत्तीसगढ़ नवाचार के दृष्टिकोण अनुसार नीति का क्रियान्वयन करना।
2. कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर पर संगठनात्मक दायित्व और प्रबंधन।
3. समर्थन, पारिस्थितिक तंत्र, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, तकनीकी संसाधन एवं यथा आवश्यकता लेखांकन, पंजीकरण, आई पी आदि जैसी अन्य सेवाएं स्थापित करना।
4. स्टार्ट–अप और इन्क्यूबेटीज के चयन में सहायता
5. उद्योग और कॉर्पोरेट कनेक्ट में इन्क्यूबेटीज की सहायता
6. सेक्टर में बदलती इन्क्यूबेटी आवश्यकताओं पर आधारित एक लचीले फ्रेमवर्क में इन्क्यूबेटी स्टार्ट–अप के वित्त पोषण, पोषण और समर्थन की सुविधा प्रदान करना।
7. प्रमुख कॉर्पोरेट ब्रांड, शिक्षा और कारपोरेट एसोसिएशन के साथ साझेदारी
8. इन्क्यूबेटीज के लिए धन की व्यवस्था के लिए वेंचर केपिटलों और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
9. ज्ञान प्रबंधन और सूचना/ विपणन किट
10. ऑनलाइन और डिजिटल कनेक्ट, सामाजिक मीडिया सहित अभियान और विपणन रणनीति।
11. लीप ऑफ फेथ रिवाल्विंग फंड (LoFR) के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत करना।
12. कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के निष्पादन और प्रबंधन के लिए आवश्यक आत्मनिर्भर व्यापार का मॉडल निर्माण करना ताकि परिचालन के 3 वर्ष बाद भी इनक्यूबेटर/ एक्सीलरेटर सफलतापूर्वक प्रबंधित और चालित किया जा सके।

4. संचालन समिति–

राज्य में नीति के कार्यान्वयन और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने मार्गदर्शन, अंतर्विभागीय समन्वय, निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक संचालन समिति गठित की जाएगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य

3	सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग	सदस्य
4	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
5	सचिव, विधि विभाग	सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	सदस्य
7	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	आयुक्त सह संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
9	संचालक, उद्योग	सदस्य
10	प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी)	सदस्य
11	उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी	सदस्य
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य
13	उप सचिव/ संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सू. प्रौ. विभाग	सदस्य सचिव

संचालन समिति आवश्यकता के अनुसार किसी भी अन्य प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है। इस नीति के बारे में संचालन समिति के सभी निर्णय अंतिम होंगे और राज्य में निवेशकों सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे।

संचालन समिति के मुख्य दायित्व–

- राज्य में कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर के प्रबंधन के लिए भागीदार/ शैक्षेणिक संस्थानों को स्वीकृति देना तथा अन्य इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर की संस्थाओं के चयन को अनुमोदित करना।
- स्टार्ट–अप उद्यमी को चयन करने एवं अनुदान प्रदान करने की मात्रा तथा प्रक्रिया का अनुमोदन करना।
- इस नीति के अंतर्गत कोर इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर एवं राज्य में स्थापित होने वाले अन्य इनक्यूबेटर–सह–एक्सीलरेटर हेतु अनुदान की मात्रा स्वीकृत करना।
- इस नीति के लिए कार्य योजना को अनुमोदन देना, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और नियमित समीक्षा।
- इस नीति के प्रभावी संचालन के लिए किसी भी कार्यकारी आदेशों/ निर्देशों को जारी करने हेतु अधिकृत करना।

- स्टार्ट–अप ईको सिस्टम के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सहायता को राज्य मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुमोदन प्रदान करना।

5 अन्य शर्तें–

5.1 यह नीति, इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 अक्टूबर 2019 तक वैध होगी।

5.2 भारत सरकार द्वारा भी "स्टार्ट–अप" के संबंध में नीति शीध्र जारी की जा रही है। यदि भारत सरकार की नीति के अंतर्गत राज्य की इस नीति में राज्य में स्थापित इंक्यूबेटर–एक्सलरेटर, स्टार्ट अप को अतिरिक्त प्रोत्साहन/अनुदान/प्रतिपूर्ति प्राप्ति की पात्रता आयेगी तो वह भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत अनुज्ञेय प्रोत्साहन/अनुदान/ प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी अर्ह होंगे।

5.3 इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या के विषय में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

5.4 इस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को समय–समय पर निर्देश या आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

5.5 इस नीति के सफल कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, उपयुक्त परिचालन दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत के अनुसार समयबद्ध तरीके से संशोधित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सौरभ कुमार)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग